भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 406
03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

406. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों के माध्यम से भी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यान्वित कर रही है
(ख) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिए जाने की संभावना है;
(ग) देश में उक्त योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों और सरकारी अस्तपतालों के लाभार्थियों की जिले-वार संख्या 'कितनी है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (ग): भारत सरकार प्रसूति रोग विशेषज्ञों/चिकित्सा अधिकारियों द्वारा नामित जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसवपूर्व दूसरी/तीसरी तिमाही में प्रत्येक माह के नौवें दिन सार्वभौमिक रूप से निश्चित दिन, निशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) का कार्यान्वयन करती है। इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक आधार पर निजी चिकित्सकों से सक्रिय भागीदारी भी आमंत्रित की जाती है। पीएमएसएमए के उचित कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी दिशा-निर्देशों का ब्यौरा **अनुलग्नक**-1 में दिया गया है।
(घ): पीएमएसएमए के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की जिला-वार संख्या **अनुलग्नक**-2 में दी गई है।

अनुलग्नक 1

<u>पीएमएसएमए संबंधी दिशानिर्देश का विवरण</u>

1. प्रस्तावना:

1.1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) को देश में गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इस अभियान के तहत, लाभार्थियों को हर महीने की 9 तारीख को नामित जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर प्रसवपूर्व परिचर्या सेवाओं का एक न्यूनतम पैकेज प्रदान किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था की दूसरी या तीसरी तिमाही में चिकित्सक द्वारा कम से कम एक चेकअप प्राप्त हो।

1.2. इस अभियान के दौरान, प्रशिक्षित सेवा प्रदाता और आशाकर्मी उन गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और उन तक पहुंचने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिन्होंने एएनसी के लिए पंजीकरण नहीं कराया है (छूट गई है एएनसी से चूक गई है) और जिन्होंने पंजीकरण कराया है लेकिन एएनसी सेवाएं (ड्रॉपआउट) नहीं ली है और साथ ही जो उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं है। यह, यह भी सुनिश्चित करता है कि न केवल सभी गर्भवती महिलाएं अपने निर्धारित एएनसी विजिट्स को पूरा करें, बल्कि सभी आवश्यक जांच भी कराए।

1.3. पीएमएसएमए गुणवत्तापूर्ण एएनसी प्रदान करता है और इसके अंतर्गत उच्च जोखिम वाले प्रसवों और जटिलताओं वाली महिलाओं का पता लगाने, रेफर करने, उपचार और अनुवर्ती कार्रवाई भी की जाती है।

2. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के प्रमुख फोकस वाले क्षेत्र:

2.1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत मुख्य फोकस क्षेत्र सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), अंतर-व्यक्तिगत संचार (आईपीसी) और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) क्रियाकलाप के माध्यम से मांग पैदा करना है। जन जागरूकता बढ़ाने में दृश्य-श्रव्य और प्रिंट मीडिया का व्यापक उपयोग आईईसी/बीसीसी अभियान का एक अभिन्न अंग है। सहायक नर्स मिडवाइफ (एएनएम), आशाकर्मी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समुदाय और संभावित लाभार्थियों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

3. उद्देश्य:

3.1. पूरे देश भर में प्रत्येक गर्भवती महिला को पर्याप्त, उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण एएनसी प्रदान करना।

4. निजी/स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ सहभागिता

4.1. पीएमएसएमए के तहत, चिकित्सा अधिकारी और ओबीजीवाई विशेषज्ञ द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे सुविधा केंद्र जहां ऐसे प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध नहीं है, वहां स्वैच्छिक आधार पर निजी चिकित्सकों (ओबीजीवाई) से सेवाओं की व्यवस्था की जाती है।

4.2. निजी क्षेत्र के प्रसूति विशेषज्ञ/चिकित्सकों और सेवानिवृत्त ओबीजीवाई विशेषज्ञों को प्रत्येक माह की 9 तारीख को नामित जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता **है** ।

4.3. निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता के लिए कार्यान्वित कार्य नीतियों में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पीएमएसएमए के लिए स्वयंसेवक बनने के इच्छुक डॉक्टरों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पोर्टल सृजित किया गया है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस पहल में निजी डॉक्टरों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गाइनीकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (एफओजीएसआई) और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) जैसे संगठनों के साथ सहयोग करेंगे

4.4. भागीदारी को बनाए रखने के लिए संबंधी कार्य नीतियां:

- पुरस्कारों के माध्यम से अनुकरणीय सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयंसेवक डॉक्टरों के प्रयासों को मान्यता देना
- स्वयंसेवकों के काम को समापन देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना।

अनुलग्नक -2

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए पीएमएसएमए के तहत उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की जिलेवार संख्या

क्र सं	जिला	पीएमएसएमए के तहत प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या	क्र सं	जिला	पीएमएसएमए के तहत प्रसवपूर्व परिचर्या प्राप्त करने वाली गर्भवती महिलाओं की कुल संख्या
1	आगरा	34933	39	जालौन	8720
2	अलीगढ़	19140	40	जौनपुर	32984
3	इलाहाबाद	29993	41	झांसी	11919
4	अम्बेडकर नगर	6624	42	कन्नौज	7388
5	अमेठी	7748	43	कानपुर देहात	7490
6	अमरोहा	12524	44	कानपुर नगर	22110
7	औरैया	8960	45	कासगंज	9324
8	आज़मगढ़	41531	46	कौशांबी	16778
9	बागपत	10048	47	खीरी	21020
10	बहराइच	8175	48	कुशीनगर	12678
11	बलिया	7282	49	ललितपुर	7569
12	बलरामपुर	14564	50	लखनऊ	29897
13	बांदा	10899	51	महाराजगंज	13262
14	बाराबंकी	16607	52	महोबा	5432
15	बरेली	22227	53	मैनपुरी	9466
16	बस्ती	16274	54	मथुरा	15934
17	भदोही	3525	55	मऊ	14924
18	बिजनौर	18968	56	मेरठ	11537

19	बदायूं	27809	57	मिर्जापुर	8528
20	बुलंदशहर	21429	58	मुरादाबाद	13000
21	चंदौली	11086	59	मुजफ्फरनगर	27566
22	चित्रकूट	5995	60	पीलीभीत	12182
23	देवरिया	22861	61	प्रतापगढ़	13286
24	एटा	8306	62	रायबरेली	10801
25	इटावा	20355	63	रामपुर	13020
26	फैजाबाद	10574	64	सहारनपुर	18839
27	फर्रुखाबाद	10873	65	संभल	10835
28	फतेहपुर	10741	66	संत कबीर नगर	8248
29	फिरोजाबाद	21334	67	शाहजहाँपुर	19111
30	गौतम बुद्ध नगर	8211	68	शामली	6769
31	गाजियाबाद	22838	69	श्रावस्ती	10765
32	गाजीपुर	10448	70	सिद्धार्थ नागर	28060
33	गोंडा	13906	71	सीतापुर	21689
34	गोरखपुर	26407	72	सोनभद्र	15258
35	हमीरपुर	10266	73	सुल्तानपुर	16374
36	हापुड़	8549	74	उन्नाव	15909
37	हरदोई	13135	75	वाराणसी	22753
38	हाथरस	9179		कुल	1135749

(स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल)